



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042024-253929
CG-DL-E-30042024-253929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1716]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946

No. 1716]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

का.आ. 1808(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 518 (अ) तारीख 05 फरवरी 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II), खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर ते एनएच - एनई 4 के कि.मी. 18.925 से कि.मी.45.400 (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के भुखंड के निर्माण (चौड़ा करने / छह/आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22 फरवरी 2024 " को "लोकमत"(मराठी) और "दि फ्री प्रेस जर्नल" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर ते एनएच - एनई 4 के कि.मी. 18.925 से कि.मी.45.400 (महाराष्ट्र सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: ठाणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भिवंडी					
गांव का नाम: महाळुंगे					
1	१/१४	निजी	कृषी	0.082	महादेव रामाजीराव मोरे 1/14
2	१ पै	निजी	कृषी	0.1281	गणपत शिडवा भावर, वनिता गणपत भावर Forest
3	१ पै	निजी	कृषी	1.0851	किसन लाडक्या भावर, अंजनी किसन भावर 1P
गांव का नाम: घोटगाव					
4	६५ पै	निजी	कृषी	0.484	योगेश रघुनाथ पाटील, वनिता विष्णु थापड, काशिनाथ जवळया थापड, नकुल विष्णु थापड, शैलेश विष्णु थापड, बेबी विष्णु थापड 65P
गांव का नाम: खांडपे					
5	५४/१ पै	निजी	कृषी	0.2758	अर्चना मगन पाटील, अविनाश मगन पाटील, इंदिराबाई श्रीपत म्हात्रे, मनिषा मगन पाटील, दिनेश परशुराम पाटील. लखुबाई मारुती तारे, बळीराम रामु पाटील, पंडीत श्रीपत पारधी, सुंदर पुंडलिक पाटील, रामभाऊ लक्ष्मण शेलार, बारकु बाळाराम पाटील,

					कांताबाई अनंता पाटील, अनिता हनुमान ठाणगे, सखुबाई दिपक डोंगरे, नंदा दिनकर फर्डे, फशिबाई तुकाराम म्हात्रे, शोभा विष्णु शास्त्री, योगिता विनोद थळे, श्याम लक्ष्मण शेलार, गोविंद लक्ष्मण कुटे 54/1B
गांव का नाम: कसबे दुगड					
6	१६४	सरकारी (/ खाजगी)	फरिस्ट / कृषी	0.2508	उ.प्रो. फरिस्ट, कुळ - कृष्णा रावजी उंबरसाडा, दर्शना कृष्णा उंबरसाडा, मधुकर बुध्या उंबरसाडा, संगीता मधुकर उंबरसाडा 164A
कुल योग				2.3058	

[फा. सं. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2024

S.O. 1808(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.518 (E) Dated the 05th February 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six/eight laning, etc.), maintenance, management and operation of Mumbai - Vadodara Expressway Spur to NH-NE4 in the stretch of land from Km. 18.925 to Km. 45.400 (Maharashtra Section) in the district of Thane in the state of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Lokmat**”(Marathi) and “**The Free Press Journal**”(English) both dated **22th February, 2024**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 18.925 to Km. 45.400 (Maharashtra Section) Mumbai- Vadodara Expressway Spur to NH-NE 4 in the district of Thane in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: THANE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bhiwandi					
Village: Mahalunge					
1	1/14	Private	Agricultural	0.082	Mahadev Ramajirao More 1/14
2	1P	Private	Agricultural	0.1281	Ganapt Shidva Bhavar, Vanita Ganpat Bhavar Forest
3	1P	Private	Agricultural	1.0851	Kisan Ladkya Bhavar, Anjani Kisan Bhavar 1P
Village: Ghotgaon					
4	65P	Private	Agricultural	0.484	Yogesh Raghunath Patil, Vanita Vishnu Thapad, Kashinath Javlya Thapad, Nakul Vishnu Thapad, Shailesh Vishnu Thapad, Bebi Vishnu Thapad 65P
Village: Khandape					
5	54/1P	Private	Agricultural	0.2758	Archana Magan Patil, Avinadh Magan Patil, Indirabai Shripat Mhatre, Manisha Magan Patil, Dinesh Parshuram Patil, Lakhubai Maruti Tare, Baliram Ramu Patil, Pandit Shripat Paradhi, Sundar Pundalik Patil, Rambhau Laxman Shelar, Baraku Balaram Patil, Kantabai Ananta Patil, Anita Hanuman Thange, Sakhubai Dipak Dongare, Nanda Dinkar Farde, Fashibai Tukaram Mhatre, Shobha Vishnu Shastri, Yogita Vinod Thale, Shyam Laxman Shelar, Govind Laxman Kute 54/1B

Village: Kasabe Dugad					
6	164	Government (/ Private)	Forest / Agricultural	0.2508	U.Pro. Forest, Cultivator- Krushana Ravaji Umbarsada, Darshana Krushna Umbarsada, Madhukar Budhya Umbarsada, Sangita Madhukar Umbarsada 164A
Total				2.3058	

[F. No. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.